जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री रणवीर सिंह राठौड़, प्लॉट सं. 07 (खसरा सं.– 421, 422 व 853) की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 83.64 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 30,11,040 Tons Per Annum निकट ग्राम सतवाड़ा और संथली, तहसील देवली, जिला टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 274.21 हेक्टेयर कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 98,71,560 Tons Per Annum **से सम्बन्धित प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई दिनांक 30 जुलाई 2025 को प्रातः 11:00 बजे स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र संथली, ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली, जिला–टोंक का कार्यवाही विवरणः–**

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19501 दिनांक 12.06.2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम में दिनांक 30.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र संथली, ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली, जिला–टोंक (राजस्थान) में मैसर्स श्री रणवीर सिंह राठौड़, प्लॉट सं. 07 (खसरा सं. 421, 422 व 853) खनन क्षेत्र 83.64 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 30,11,040 Tons Per Annum निकट ग्राम सतवाड़ा और संथली, तहसील देवली, जिला टोंक कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 274.21 हेक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 98,71,560 Tons Per Annum से सम्बन्धित प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक (राजस्थान) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी।

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति–पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र ''द इण्डियन एक्सप्रेस'' में दिनांक 19.06.2025 और स्थानीय समाचार पत्र '''टोंक भास्कर'' में दिनांक 19.06.2025 को आमसूचना निर्धारित जनसुनवाई से 30 दिन पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की फोटो प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./पेन ड्राइव एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

अति.जिला कलक्टर
टोंक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

श्री राम रतन सौंकरिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक, जिला–टोंक की अनुमति से जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जनसुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की, कि वे परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी, उसे सुने तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत कोई सुझाव या शिकायत हो तो कृपया सब से पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव बतावे साथ ही सुझाव/शिकायत/आक्षेप जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जनसुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव एवं आक्षेप कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफस के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA), राजस्थान को प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात मैसर्स श्री रणवीर सिंह राठौड़, के पर्यावरण सलाहकार मैसर्स पी एण्ड एम सल्युशन, नोएडा की ओर से श्री राजेश विश्वास ने प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पॉवर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रदान की गई जिसमे खनन पटटे के स्थान, खनन पट्टा क्षेत्रफल, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल, उत्पादन क्षमता, खनन की विधि, खनिज, संभावित खनिज भंडार, निकटतम गाँव/शहर, निकटतम रेल्वे स्टेशन, निकटतम ग्राम सडक/जिला सड़क/राज्य राजमार्ग, निकटतम राजमार्ग, निकटतम हवाई अड्डा, निकटतम नदी/जलाशय, आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्र की जानकारी दी गई है। टर्म ऑफ रेफरेन्स (TOR) परिवहन की जानकारी, क्लस्टर की जानकारी, समाचार पत्र मे छपवाई गई आम सूचना की जानकारी, खनन की विधि, खनिज, खनन कार्य की अधिकतम सीमा, जल की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण के साधनों पर खर्च का विवरण, क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के कार्यक्रम, पर्यावरण स्थिति बेसलाइन अध्ययन विवरण, भूमि का विवरण, खनन अध्ययन क्षेत्र मे जल की गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, जल की गुणवत्ता का प्रबंधन के उपाय, खनन अध्ययन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता, सामाजिक और आर्थिक वातावरण, वृक्षारोपण/हरित पट्टी का विकास , श्रमिकों के लिए बजट आवंटन, पर्यावरण संरक्षण के लिए किये जाने वाले कार्य प्रस्तावित परियोजना के लाभ आदि से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

अति जिला कलक्टर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन-समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री दुर्गालाल मीणा निवासी संथली, तहसील देवली, जिला-टोंक द्वारा पूछा गया कि बजरी परिवहन की क्या व्यवस्था होगी व बजरी खनन से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

   परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना मे वर्तमान मे 43 लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा, जिसमे स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावेगी। बजरी परिवहन के दौरान रास्ते पर समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। ताकि प्रदूषण नही हों।

2. श्री भोजराज पुत्र श्री भजनराम, निवासी संथली, तहसील देवली, जिला-टोंक द्वारा पूछा गया कि बजरी परिवहन की क्या व्यवस्था की जायेगी ?

   परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रक के माध्यम से नदी से पक्की सड़क तक कच्चा रास्ते से परिवहन किया जायेगा जिसमें ट्रक को तिरपाल से ढ़क कर तथा रस्सी से बांधकर भेजा जायेगा जिससे आमजन को कोई परेशानी नही होगी।

3. श्री गोपाल गुर्जर पुत्र श्री हजारी देव गुर्जर, निवासी संथली तहसील देवली, जिला-टोंक द्वारा पूछा गया कि इस बजरी लीज से हमारे गाँव के लिए क्या फायदा होगा ?

   परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि गाँव के लिए सात लाख रुपये प्रतिवर्ष की राशि दी जायेगी जो कि लगातार पाँच वर्षों तक देय होगी। कुल देय राशि लगभग पैतीस लाख रूपये होगी। जो कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में आपके गाँव के विकास के लिये गाँव के ही गणमान्य नागरिकों/जनप्रतिनिधियों की सहमति से खर्च की जायेगी। राज्य सरकार को जाने वाली रॉयल्टी की 10 प्रतिशत राशि डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउडेशन ट्रस्ट (DMFT) मे जमा होती है, उक्त राशि को भी प्रशासन के माध्यम से ग्राम के विकास के लिये खर्च किया जायेगा।

4. श्री रामराज पुत्र श्री भवंर लाल, निवासी संथली, तहसील देवली, जिला-टोंक द्वारा पूछा गया कि वाहनों के चलने से धूल-मिट्टी उडेगी जिससे फसलों को नुकसान होगा उसके लिये आप क्या उपाय करेंगे ?

   परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार द्वारा अवगत् कराया गया कि बजरी परिवहन के दौरान कच्चे रास्ते धूल-मिट्टी उड़ने से रोकने के लिये रोड़ पर समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा समय-समय पर कच्ची सड़क की मरम्मत भी की जायेगी।

5. श्री देशराज केवट पुत्र श्री जगदीश सिंह निवासी संथली तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा पुछा गया कि 43 से अधिक लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं ?

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अति.जिला कलक्टर
टोंक

परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना मे आवश्यकतानुसार अभी इतने लोगों को ही रोजगार दिया जा सकता हैं। किन्तु इसी क्षेत्र मे सरकार द्वारा अन्य पट्टे भी जारी किये गये है। उनके माध्यम से भी अन्य लोगो को रोजगार दिया जावेगा।

श्री देशराज केवट पुत्र श्री जगदीश सिंह द्वारा पुनः पूछा गया कि आपके द्वारा सात लाख प्रतिवर्ष की राशि को किस प्रकार से खर्च किया जायेगा ? यदि गाँव मे पुलिया बनवानी हो तो वो किनसे कहेंगे तथा पौधारोपण की क्या व्यवस्था रहेगी ?

परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार ने अवगत कराया कि उक्त राशि का उपयोग ग्राम के विकास के लिये ग्रामवासियों की सहमति से होगा। संथली एवं सतवाडा के आसपास समूह मे पौधारोपण करवाया जावेगा।

श्री देशराज केवट पुत्र श्री जगदीश सिंह द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त राशि को खर्च करने के लिये ग्राम पंचायत की समिति बनाकर गाँव के विकास के लिये उपयोग मे लिया जावें।

6. श्री सुरेश गुर्जर पुत्र देवकरण गुर्जर निवासी संथली, तहसील देवली, जिला–टोंक द्वारा द्वारा पूछा गया कि गाँव मे यदि किसी को अपना मकान बनाना हो तो मकान बनाने के लिये उसे बजरी निःशुल्क देंगे या नही ?

परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार द्वारा बताया गया कि निजी हित के लिए निःशुल्क बजरी नहीं दी जायेगी। हमारे द्वारा सरकार को रायल्टी का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त डीएमएफटी, रोड़ मेन्टैनेन्स का खर्चा एवं अन्य खर्चे वहन करने होते है। अतः ग्रामवासियों को बजरी निर्धारित शुल्क पर दी जायेगी।

श्री सुरेश गुर्जर पुत्र देवकरण गुर्जर द्वारा दोबारा पूछा गया कि बजरी के पैसे क्यों देंगे? गाँव वालों के लिये बजरी निःशुल्क होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भराई के पैसे दे सकते हैं।

परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार द्वारा अवगत करवाया गया कि रॉयल्टी के चार गुणा राशि ली जायेगी जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला क्लेक्टर द्वारा उपस्थिति आमजन को अवगत् कराया गया कि इस जनसुनवाई मे वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। प्रशासन का इन्वॉल्वमेन्ट इसलिए रखा गया है कि इस जनसुनवाई में आप लोग अपनी बात प्रमुखता से रख सकें और जो भी बात आपने रखी वो हुबहु प्रोसिडिगं (कार्यवाही विवरण) में आ जाये। आपकी गाँव वालों को निःशुल्क बजरी की मांग एवं अन्य मांगों को हमने नोट कर लिया है तथा उक्त मांगो को बैठक कार्यवाही विवरण के साथ सक्षम स्तर पर भिजवा दिया जावेगा।

7. श्री देशराज केवट पुत्र श्री जगदीश सिंह निवासी संथली तहसील देवली, जिला–टोंक द्वारा पुनः पूछा गया कि परिवहन व्यवस्था सही से नही होने पर जाम लग सकता है जिससे दुर्घटना होने का खतरा है।

अति.जिला कलक्टर
टोंक

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री दलीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि विक्रय केन्द्र के अन्दर पार्किंग बनाकर वाहनों को खडा किया जायेगा। राजकीय सडक पर कोई भी वाहन अनावश्यक खड़े नही किये जायेंगे जिसके पूरे प्रबंध किये जायेंगे।

अतिरिक्त जिला क्लेक्टर द्वारा उपस्थित आमजन को अवगत् कराया गया कि अपने–अपने विचार, आशंका/आपत्ति व जिज्ञासा, सुझाव, सवाल, मांग रखी तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्न आवश्वासन/प्रस्ताव दिये गये है। जैसे रास्ते में धूल की वास्तविक समस्या है, इसका समाधान वास्तव मे होना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड–पौधे लगाये जाने चाहिए, बजरी के वाहनों के चलने से उड़ने वाली धूल को रोकने के लिए पानी का छिडकाव इत्यादि प्रस्तावों के बारे में ग्रामवासियों, सरपंच इत्यादि द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उक्त कार्य किये जा रहे है अथवा नही, पेड़ पौधों का रखरखाव किया जा रहा है अथवा नही। रोजगार देने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाने की बात भी धरातल पर लागू होनी चाहिए।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत गाँव के विकास के लिये सात लाख रूपये प्रतिवर्ष पॉच वर्षों के लिये कुल 35 लाख का फण्ड दिया जायेगा जिसका उपयोग आमजन की सहमति से गॉव के विकास के टिकाऊ कार्य हो जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकें। DMFT मद से मिलने वाली राशि सम्बन्धित विभाग द्वारा उसी क्षेत्र मे खर्च की जाती है जिस क्षेत्र मे खनन कार्य किया जा रहा हो। DMFT फण्ड का उपयोग चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्र मे सम्बन्धित ग्राम पंचायत मे किया जा सकता है।

8. श्री दुर्गालाल मीणा निवासी संथली, तहसील देवली, जिला–टोंक द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 साल मे खर्च किये जाने वाले 35 लाख रूपयों को गाँव के पेयजल के लिए लगायें जाने चाहिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा उपस्थित लोगों को अवगत् कराया कि CSR मद मे गाँव के विकास के लिये किया जाने वाला खर्च आम सहमति से ऐसे कार्यो के लिये किया जाना चाहिए जिसके लिये सरकार से कोई योजना नहीं चल रही हो जैसे पेयजल योजना सरकार की जिम्मेदारी है एवं सरकार इस सम्बन्ध मे कार्य कर रही है। तो CSR का पैसा किसी अन्य विकास कार्य मे लिया जा सकता है। फिर भी गाँव के लोगों की सहमति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा CSR का पैसा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा अन्य सामाजिक विकास के कार्यो मे किया जा सकेगा।

9 श्री खुशीराम गुर्जर पुत्र हेमराज गुर्जर, निवासी संथली तहसील देवली, जिला टोंक द्वारा सुझाव दिया गया कि बजरी का स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन नही हो जिसके लिये गाँववालों की समिति बनाई जानी चाहिए। बजरी की लीज के लिये बिना गाँव वालों की अनुमति के आप कोई हस्ताक्षर नही करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

अति.जिला कलक्टर
टोंक

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी द्वारा अवगत् कराया गया कि हम यहा कोई निर्णय नही कर रहे है। आज की जनसुनवाई में आप लोगो के जो भी विचार, सुझाव, आपतियां है वे वीडियो रिकोर्डिग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप सक्षम स्तर को भेजी जायेगी।

उक्त जनसुनवाई के दौरान/पहले/बाद इस परियोजना से सम्बन्धित कोई लिखित सुझाव/शिकायत/अक्षेप/आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अंत में जन सुनवाई की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षैत्रिय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,बून्दी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी, राजस्थान

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला कलक्टर टोंक,
जिला—टोंक

अति.जिला कलक्टर
टोंक

सलंग्नक -35

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 19501 दिनांक 12/06/2025

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल प्राप्ति क्रमांक 238 दिनांक 16/6/25 बून्दी (राज.)

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील देवली में स्थित ग्राम सतवाडा एवं संथली में बजरी माईनिंग प्रोजेक्ट चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता है:–

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक / फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनाक
1	पत्रांक 465 दिनांक 11.06.2025 मै0 रणवीर सिंह राठौड	सतवाडा एवं संथली	राजीव गांधी सेवा केन्द्र, संथली में दिनांक 30.07.2025 प्रातः 11.00 बजे

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः– / न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2025 / 19502-09 दिनांक 12/06/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना / पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी देवली।
3. तहसीलदार देवली को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देवली।
5. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
6. श्री जितेन्द्र सिंह नरुका, सहायक प्रशानिक अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत संथली।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <ceo.jjn@gmail.com>.

Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :12-06-2025 06:12:15

संलग्नक : ब

मैसर्स रणवीर सिंह राठौड कंपनी, प्लॉट सं. 07, खसरा संख्या 421, 422,व 853, प्रस्तावित बजरी खनन क्षेत्रफल 83.64 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 30,11,040 **TPA** मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल 274.21 हेक्टेयर कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 98,71,560 **TPA** बजरी खनन परियोजना प्रोजेक्ट हेतु आयोजित पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 30.07.2025 (बुधवार) को स्थान राजीव गॉधी सेवा केन्द्र संथली, ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे में उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिको का उपस्थिति पत्रकः–

क्र.स.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	राम रतन सौंकरिया	ADM टोंक	[illegible]
2.	Shiv Kumar	R.O., RPCB, Bundi	[illegible]
3	मितेन्द्र सिंह नरूका	AAO	[illegible]
4	गोपाल	सन्थली	[illegible]
5	मोजराज	संथली	[illegible]
6	दुर्गालाल	संथली	[illegible]
7	बजरंगलाल	सन्थली	[illegible]
8	रामराज गूजर	संथली	रामराज
9	जगदीश	संथली	जगदीश
10	रामलाल दरोगा	ओलोडिया	रामलाल
11	रामावतार मीणा	सन्थली	रामावतार
12	भोजराज मीणा	संथली	भोजराज
13	राजकुमार गुर्जर	संथली	राजकुमार
14	बन्टी रठटीक	सन्थली	बन्टू
15	नन्दाराम भील	सन्थली	
16	अजय कुमार	विक्रम सिंह संथली	Ajay

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
17	शिवम सिंह	सम्भली	शिवम सिंह
18	कुलप्रकाश	संथली	[illegible]
19	भंवरलाल भील	सन्थली	भंवरलाल
20	बनवारी मीणा	संथली	बनवारी
21	मुकेश	सन्थली	मुकेश
22	सुरेश कुमार	सन्थली	[illegible]
23	भानु प्रताप सिंह	Consultant	[illegible]
24	yudhishthir	Jaipur	[illegible]
25	दलीप कुमार	हनुमानगढ़ प्रतिनिधि रामनिवास	[illegible]
26	किशना	संभली	किशना
27	Rajesh Kumar Vishwas	PGM Solution Noida	Rajesh
28	Jaya Panchal	JSO ~~RO~~ - Bundi, RSPCB	Jaya
29	Pankaj Sattawan	JEE, RSPCB, Bundi	Pankaj
30	मायाराम	संथली	मायाराम
31	देशराज कंवर	सन्थली	देशराज
32	खुशीराम गुर्जर	सन्थली	खुशीराम
33	सुरेश कुमार गुर्जर	सन्थली	सुरेश
34	~~[illegible]~~ गुर्जर	सन्थली	~~[illegible]~~
35	रंगलाल गुर्जर	सन्थली	रंगलाल
36	Pankaj Sattawan, JEE RSPCB	Bundi	Pankaj

टंकियां बांटी।

. अनुराग कुमावत, राजू
दिनेश शर्मा, राजेश
ीष नामा, अमित सर्राफ,
न, सीए राज भंवर सैनी,
ढ़ाया, सुरेंद्र गुप्ता, युवराज
राम सैनी, लडूराम सैनी,
मौजूद रहे।

होगा। विमल जौंला एवं सुनील भाणजा ने बताया कि जैन समाज के तत्वावधान में मुनि अरह सागर महाराज, आर्यिका विशुद्धमति माताजी एवं आर्यिका विज्ञमति माताजी ससंघ का बुधवार को मंगल आगमन प्रवेश होगा। गुरुवार सुबह अहिंसा सर्किल पर दिगंबर जैन संतों का समागम मंगल मिलन होगा। दोनों जैन संघ अहिंसा सर्किल से जुलूस के साथ भगवान महावीर मार्ग होते हुए श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर पहुंचेंगे। जहां धर्मसभा होगी।

वनस्थली। भारत गौरव गणिनी आर्यिका विशुद्ध मति माताजी ससंघ का बुधवार को वनस्थली में मंगल प्रवेश हुआ।

जैन समाज के तत्वावधान में गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया। आचार्य निर्मल सागर महाराज की शिष्या आर्यिका विशुद्ध मति एवं विज्ञमति माताजी के साथ सात आर्यिकाओं का ससंघ वनस्थली पहुंचा। विमल जौंला ने बताया कि आर्यिका माताजी ने वनस्थली के जैन मंदिर में प्रवेश किया। वहां समाज के अनेक लोगों ने चरण प्रक्षालन और आरती कर अगवानी की। सभी आर्यिकाओं की आहार चर्या भी यहीं पर हुई। आर्यिका विशुद्ध मति माताजी का अगला मंगल प्रवेश गुरुवार को निवाई में होगा।

तियों को छोड़ने का संकल्प लिया

भास्कर न्यूज़ | मोर

भारतीय रैगर महासभा
द्वार अभियान के तहत
र देर रात गांव पंवालिया में
हुई। इसमें समाज में फैली
को छोड़ने के लिए लोगों
ागरूक किया गया।
ता अध्यक्ष शंकर लाल
ाल ने कहा कि मादक
और शराब का नशा,
ोज, प्री-वेंडिंग शूट,
त्सव, बारात में डीजे, दहेज
हल्दी-मेहंदी की रस्म जैसी
ाएं समाज को कमजोर कर
हैं। इन बुराइयों को बंद कर
और पिछड़े बच्चों की
र्थिक मदद करनी चाहिए। नशा घर-परिवार को बर्बाद करता है। आने वाली पीढ़ी को बेघर कर देता है। इससे बचने के लिए समाज का शिक्षित होना जरूरी है। बैठक में जिला महामंत्री रामभज वर्मा, जिला सचिव महेंद्र कुमार बांसोटिया, टोडारायसिंह शहर अध्यक्ष कालू राम वर्मा, रामपाल बांसोटिया ने समाज के लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान पंवालिया के मोहन परसोया, रामनिवास परसोया, गोपाल सांटीवाल, शिवराज सेवलिया, ग्यारसी लाल गुसाईवाल, बैनाथ परसोया, कृष्ण गोपाल गुसाईवाल, राकेश परसोया, , यादराम परसोया, सुरेश परसोया सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

No. RPCB/RO Bundi/PUB-141/531 Date : 16/06/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रणवीर सिंह राठौड, प्लॉट सं. 07 की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना खनन क्षेत्र 83.64 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 30,11,040 TPA निकट ग्राम सतवाडा और संथली, तहसील देवली, जिला टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 274.21 हेक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 98,71,560 TPA से सम्बन्धित प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति/राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसर्स रणवीर सिंह राठौड द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक।
ii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
iii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
v. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
vi. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
vii. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
viii. कार्यालय सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक।
ix. कार्यालय पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक।
x. कार्यालय ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक :- न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19501 दिनांक 12/06/2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई में दिनांक 30.07.2025 (बुधवार) को स्थान राजीव गाँधी सेवा केन्द्र संथली, ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

भवदीय (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं., बून्दी

भास्कर CLASSIFIED
BhaskarAd.com
Classified Ad ऑनलाइन बुक करें -
Call : 9772019222
भास्कर APPOINTMENT
ज्योतिष
ASTROLOGY
आवश्यकता
एयरपोर्ट JOBS अनपढ़ ग्रेजुएट सुपरवाईजर एयरहोस्टेस, ग्राउंड स्टॉफ चेकर लोडर
TELECOM 5G COMPANY (SMS JOB) करके लड़के-लड़कियों, गृहणियो, घर बैठे
मालवीय नगर कैफे में स्टोर मैनेजर (अनुभवी), हेल्पर, हाउसकीपिंग हेतु लड़के चाहिये

		Rs.16.82 Crore.		Addendum to this publication if any would appear only on the above said website.
3.	2192/P2/ MKG/2024	Tender invited for **143** insulated vehicles for collection of sachet milk from 3 dairies and distribution in Chennai metro areas for morning supply (I Delivery) and bring back the empty tubs **on Trip basis** for **2 Years (2025-2027)** with tender value **Rs.49.29 Crore.**	**Rs.25,000/-**	

Tender Ref. No	Tender Documents availability	E- Submission End Date	Technical Bid Opening
0417/P2/MKG/2025 1895/P2/MKG/2024 and 2192/P2/MKG/2024	**20.06.2025** to **07.07.2025** upto **3.00 pm**	On **07.07.2025 at 3.00 pm**	On **08.07.2025** at **3.30 PM**

DIPR/ 3119 /TENDER/2025 **JOINT MANAGING DIRECTOR,**

A GAS leak at an ONGC well in Assam's Sivasagar district, which has displaced over 1,000 people, continued for a seventh day Wednesday, with authorities struggling to plug it and prevent it from catching fire.

The blowout had taken place on June 12, with ONGC reporting gushes of gas were observed during servicing operations at well no. RDS-147 in its Rudrasagar Field in Sivasagar, its old- evacuated around 1,500 people in Bhatiapar and 70 families have been put up in a relief camp in nearby Bangaon. Panic over the effects of the blowout rose after a person from the area was taken in an unconscious state to Jorhat Medical College and Hospital for treatment on Tuesday evening.

"One patient had been brought from Bhatiapar and admitted to the ICU. He is improving now, we are in-

BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED

BAJAJ FINSERV

Corporate office: Cerebrum IT Park B2 Building 5th floor, Kalyani Nagar, Pune, Maharashtra 411014
Branch Address.: 1st Floor, JLG Square, 190, Basant Vihar, Vijay Mandir Road, Near Ambedkar Circle, Alwar, Rajasthan – 301001

Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Undersigned being the Authorized officer of M/s Bajaj Housing Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s)/Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e. defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there-on for Home loan(s)/Loan(s) against Property advanced to them by Bajaj Housing Finance Limited, and as a consequence the loan(s) have become Non Performing Assets. Accordingly, notices were issued to them under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there-to, on their last known addresses, however the same have been returned un-served/undelivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.

Loan Account No./Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s) & Addresses	Address of the Secured/ Mortgaged Immovable Asset/ Property to be enforced	Demand Notice Date & Amount
Branch : ALWAR LAN No. H480RLP0903906 **1. Anil Kumar Arora (Through legal heir since deceased) (Borrower)** **2. Komal (Co- Borrower)** At 5 Ka 120 Shiwaji Park, Alwar, Rajasthan-301001	All that piece and parcel of the Non-agricultural Property described as: House No.5 K 120. At. Shivaji Park Dist. Alwar Rajasthan 301001 East :-15'Rasta, West :-UIT House, North :-House No. 5K 119, South :- 15'Rasta	16th Jun 2025 & Rs. 12,06,067/- (Rupees Twelve Lac Six Thousand Sixty Seven Only)

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers and/or Co-Borrowers Guarantors) are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice failing which (without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Housing Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets/ mortgaged property will be initiated as per the provisions of Sec. 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002. The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above mentioned properties. On which Bajaj Housing Finance Limited has the charge.

Place: Alwar Date: 19.06.2025 Sd/- Authorized Officer, Bajaj Housing Finance Limited

Public Notice For E-Auction For Sale of Immovable Properties

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and **Branch Office at"4th floor, Vinayak Heights, Gautam Marg, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021"** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS BASIS and WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.iiflonehome.com

Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Physical Possession	Reserve Price
1. Mr. Manoj Lalwani 2. Mrs. Chanda Devi (Prospect No IL10027913)	18-Jun-2021 Rs. 9,38,847/- (Rupees Nine Lakh Thirty Eight Thousand Eight Hundred Forty Seven Only)	All that part and parcel of the property bearing Flat No. 428, with the carpet area of 402.35 sqft On 4Th Floor , Block - A, Unit Type - Lig, Uday Greens, Village - Narotampura, Sanganer, Jaipur, Rajasthan, 302029 (Area Ad.Measuring: 549.49 Sq ft)	19-May-2025	Rs.13,19,000 /- (Rupees Thirteen Lakh Nineteen Thousand Only)
	Bid Increase Amount Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)		**Total Outstanding as On Date 10-Jun-2025** Rs. 10,01,571 /- (Rupees Ten Lakh One Thousand Five Hundred and Seventy One Only)	**Earnest Money Deposit (EMD)** Rs.1,31,900/- (Rupees One Lakh Thirty One Thousand Nine Hundred Only)

Date of Inspection of property	EMD Last Date	Date/ Time of E-Auction
21-July-2025 1100 hrs -1400 hrs.	23-July-2025 till 5 pm.	25-July-2025 1100 hrs-1300 hrs.

Mode Of Payment:- EMD payments are to be made vide online mode only. To make payments you have to visit https://www.iiflonehome.com and pay through link available for the property/ Secured Asset only.
Note: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy vide public auction.
For Balance Payment - Login https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay Balance Amount.

TERMS AND CONDITIONS:-

1. For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider **https://www. iiflonehome.com** well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.
2. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.
3. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment.
4. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.
5. The purchaser has to pay TDS application to the transaction/payment of sale amount and submit the TDS certificate with IIFL HFL.
6. **Bidders are advised to go through the website https: //www.iiflonehome.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.**
7. **For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- care@iiflonehome.com, Support Helpline Numbers:@1800 2672 499.**
8. For any query related to Property details, Inspection of Property and **Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- care@iiflonehome.com**
9. Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.
10. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
11. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.
12. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Place:- Jaipur , Date: 19-June-2025 Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited.

RBL BANK LTD.

RBL BANK *apno ka bank*

REGISTERED OFFICE: 1st Lane, Shahupuri, Kolhapur-416001
National Operating Centre : 9th Floor, Techniplex-I, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West) Mumbai - 400062.

GOLD AUCTION CUM INVITATION NOTICE

The below mentioned borrower has been served with demand notices to pay outstanding amount towards the loan facility against gold ornaments ("Facility") availed by them from RBL Bank Limited. Since the borrower has failed to repay dues under the Facility, we are constrained to conduct an auction of the pledged gold ornaments on **25-Jun-25**

In the event any surplus amount is realised from this auction, the same will be refunded to the concerned borrower and if there is a deficit post the auction, the balance amount shall be recovered from the borrower through appropriate legal proceedings. RBL Bank has the authority to remove following account from the auction without prior intimation. Further, RBL Bank reserves the right to change the Auction Date without any prior notice.

Sr. No.	Account Number	Borrower's Name	Details of Gold Ornament (in gms)	
1.	809008358782	DHAN RAJ	TOTAL_GROSS_WT	55.2
			TOTAL_IMPURITY	0
			TOTAL_STONE_WT	17.2
			TOTAL_NET_WT	38
2.	809008558731	MANGAL CHND	TOTAL_GROSS_WT	22.9
			TOTAL_IMPURITY	1.2
			TOTAL_STONE_WT	0
			TOTAL_NET_WT	21.7

The online auction will be held on https://egold.auctiontiger.net on 25-Jun-25 from 02:00 PM. 04:00 PM IST.
Intending bidders should contact M/s. e-Procurement Technologies Ltd. (AuctionTiger) at 6351896640 / 7984129853.
For detailed Terms and Conditions, please visit the auction portal.

Place : RAJASTHAN
Date : 19-06-2025

Authorized Officer
RBL Bank Ltd.

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-141/531 Date : 16/06/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स रणवीर सिंह राठौड, प्लॉट सं. 07 की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना खनन क्षेत्र 83.64 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता 30,11,040 TPA निकट ग्राम सतवाडा और संथली, तहसील देवली, जिला टोंक मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 274.21 हेक्टेयर कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 98,71,560 TPA से सम्बन्धित प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति/राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि मैसर्स रणवीर सिंह राठौड द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533 (ई) दिनांक 14/09/2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

i. कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक।
ii. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
iii. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
v. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला टोंक।
vi. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला टोंक।
vii. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।
viii. कार्यालय सहायक खनि0 अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक।
ix. कार्यालय पंचायत समिति देवली, तहसील देवली, जिला टोंक।
x. कार्यालय ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली, जिला टोंक।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक :- न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/19501 दिनांक 12/06/2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई में दिनांक 30.07.2025 (बुधवार) को स्थान राजीव गाँधी सेवा केन्द्र संथली, ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली, जिला टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में आपत्ति/आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

भवदीय (शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं., बून्दी